



Neutral Citation No.- 2026:AHC-LKO:41412

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4106 वर्ष 2026

राम कुमार और एक अन्य आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अभिषेक श्रीवास्तव, गौरव कुमार
तिवारी

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्रीमती रंजना श्रीवास्तव और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री नागेंद्र प्रताप सिंह ने अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में लिया गया, को सुना।

2. यह आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 0203/2025, अंतर्गत धारा 115(2), 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मितौली, जिला लखीमपुर खीरी में, आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. उपरोक्त मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(4) के तहत दायर एक आवेदन के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें आवेदकों, उनके बेटे रणजीत कुमार और अखिलेश कुमार सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी मनोरमा का विवाह रणजीत कुमार से 20.12.2020 को कराया था। सभी आरोपी दहेज की मांग को लेकर पीड़िता को प्रताड़ित करते थे। शिकायतकर्ता की बेटी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी और 11.06.2024 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, जिसके बाद वह अपने ससुराल वापस चली गई थी। सभी आरोपियों ने 13.08.2024 को पीड़िता को पीटा और जहर देकर उसकी हत्या कर दी।

4. शवविच्छेदन 14.08.2024 को किया गया।

5. शुरू में शिकायतकर्ता ने 14.08.2024 को पुलिस को एक आवेदन दिया था जिसमें बताया गया था कि उसकी बेटी का विवाह लगभग चार साल पहले आवेदकों के बेटे रणजीत कुमार से हुआ था। रणजीत कुमार शिकायतकर्ता की बेटी को पंजाब ले गया था। 13.08.2024 को शिकायतकर्ता को अपनी बेटी की अचानक मृत्यु की सूचना मिली। उसने बताया कि उसकी बेटी का शव पंजाब से लाया गया था और चांदपुरवा गांव में पड़ा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था। इस आवेदन पर 14.08.2024 को शव परीक्षण किया गया, जिसमें शव पर कुछ चोटें पाई गईं। शव विच्छेदन आख्या में दाहिनी कलाई के मध्य भाग के पिछले हिस्से पर 1 सेमी x 1 सेमी आकार का एक खरोंच का निशान बताया गया है। शव विच्छेदन आख्या में यह भी बताया गया है कि शव के सड़ने के संकेतों के कारण अन्य चोटें नहीं पाई गईं। मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका और आंतरिक अंगों को संरक्षित कर लिया गया। आंतरिक अंगों की जांच आख्या में सल्फास की उपस्थिति पाई गई।

6. जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में कहा गया है कि आवेदक संख्या 1, 80 वर्ष का व्यक्ति है और आवेदक संख्या 2, 75 वर्ष की महिला है, वे निर्दोष हैं, उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि आवेदकों के खिलाफ आरोप अन्वेषण के दौरान सिद्ध हो चुके हैं और 28.03.2026 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

8. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि शव पर मौजूद चोटों से संकेत मिलता है कि पीड़ित को प्रताड़ित किया गया और जहर खाने के लिए मजबूर किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शुरू में शिकायतकर्ता ने मृत्यु की सूचना देते हुए कहा था कि मृतक की मृत्यु पंजाब में अपने पति के साथ रहते हुए हुई थी, जबकि आवेदक मृतक के ससुर और सास हैं और वे अपने गांव लखीमपुर खीरी में रहते हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने पंजाब में कोई जहर खाया था या उसे खिलाया गया था, जहां आवेदक उपस्थित नहीं थे; आवेदक संख्या 1, 80 वर्ष का व्यक्ति है और आवेदक संख्या 2, 75 वर्ष की महिला है, उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 10.03.2026 से जेल में बंद हैं और जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और मामले के गुण-दोष को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि उपरोक्त तथ्य आवेदकों को उपरोक्त अपराध में जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हैं।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

11. उपरोक्त मामले में आवेदकों राम कुमार और श्रीमती बिटौली को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे;
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारणीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होंगे, जब तक कि विचारणीय न्यायालय द्वारा उनकी उपस्थिति से छूट न दी जाए।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

18 जून, 2026

राम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।